नई दिल्ली | बुधवार 9 सितंबर 2009 | भाद्रपद 18 शक 1931 | आश्विल कृष्ण | 5 विक्रम 2066 | पेज 24* | मूल्य 3.50 रु या 6 रु द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित | www.nbt.in | www.navbharatimes.com

NBT
नवभारत टाइम्स

अंगदान : मौत के बाद भी जिंदगी का अहसास

वरिष्ठ संवाददाता || नई दिल्ली

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन एक्ट 1994 में बदलाव के लिए लंबे संमय से लंबित पड़े संशोदनों को मंजूर कर लिया है। इस बारे में ड्राफ्ट बिल कैबिलेट के पास भेजा जा रहा है। यह बिल संसद के आगले सेशन में पेश होने की उम्मीद है। इसमें इच्छुक पर बेमेल लोगें के महत्वपूर्ण अंगों की अदला-बदली को वैध बनाया जाएगा। मोजूदा समय में सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। इनमें पिता, मां, बेटा, बेटी, रिश्तेदार और मरीज से भावनात्मक रूप से जुड़े लोग शामिल हैं।

एम्स में ओआरबीओ दैशभर में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की नोडल एजेंसी है। जहां 31 अगस्त 2009 तक हुए अंगदान का ब्योरा इस तरह है

हार्ट-	25
लिवर-	15
किडनी-	52
पैंक्रियाज-	2
हार्ट वाल्व-	37
कार्निया-	342
बोंस-	11
पूरी बाडी-	62
कुल ऑर्गन टिश्यू-	484

अब तक करीब १० हजार लोगों ने स्वैच्छिक अंगदान के फार्म भरें हैं।

बिल का फायदा : अदला-बदली का बड़ा फायदा उन मरीजों को होगा, जिनके रिश्तेदार अंग डोनेट तो करना चाहते हैं पर मरीज के लिए उनके अंग मेडिकल लिहाज से ठीक नहीं। बिल में इस स्स्टम का प्रस्ताव है कि डोनर का अंग अगर अपने मरीज के लिए असंगत रहता है पर किसी दूसरे मरीज के लिऐ फिट है तो दोनों पक्ष आपस में अंगों की अदला-बदली कर सकें।

अंगो की कमी क्यों: कानून के मुताबिक ब्रेन डेड व्यक्ति से अंग लिए जा सकते हैं लेकिन कई राज्यों ने यह कानून लागू नहीं किया है क्योकि हेल्थकेयर राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। एम्स में हार्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के हेड डां बलराम ऐरन कहते हैं कि आईसीयू का कमी की वजह से ज्यादातर अस्पताल ब्रेन डेड डोनर को लबे समय तक नहीं रख सकते और फिजिशियन भी उन्हें ब्रेन डेड घोषित करने में हिचकिचाते हैं। इसके लिए न्यूरातजिस्ट की जरूरत होती है जो कई बार हर सेंटर पर मौजूद नहीं होते। सीनियर हार्ट सर्जन डां शिव चौधरी कहते हैं कि ज्यादातर अस्पतालों में एक्सपर्ट ट्रांसप्लांट को-ऑर्डिनेटर की कमी है, जो मृतकक को परिजनों को अंग दान करने के लिए ठीक से समझा सकें। ब्रेन डेड व्यक्ति को लेकर गलत धारणाएं, धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं भी अंगदान की राह में बाधा है।

दूसरे देशों से सबक लें: ब्रिटेन में भी यह बहस चल रही है कि ऑर्गन डोनेशन रेट बढ़ाने के लिए मौत के बाद सबको डोनर माना जाए, जब तक किसी ने मौत से पहले खुद अंगदान न करने का विकल्प चुना हो या फैमिली की स्वीकृति नहीं हो। सिंगापुर और स्पेन में इस तरहा का कानून है। चीन ने स्वैच्छिक अंगदान को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीम लांच की है, जिसके तहत डोनर के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएकी।

जागरूकता, कानून दोनों जरूरी: डां ऐरन कहते हैं कि ब्रेन डेड डोनर को राज्य की संपत्ति मानने का नून बनाया जाना चाहिए। अभी अगर मृतक ने मौत से पहले अंगदान की स्वीकृति दी हो ते भी ज्यादातर मामलों में परिजन बाद में मना कर देते हैं। ऑर्गन निकालकर सुरक्षित रखने और उनके स्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जिले स्तर पर भी होना चाहिए। स्वैच्छिक अंगदान करने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस देने जैसे उपायों से फायदा होगा।

देना चाहते हैं मौत के बाद जिंदगी....

अंगदान के लिए एक फार्म भरना होगा। दो विटनेस भी चाहिए होंगे, जिनमें एक करीबी रिश्तेदार होना चाहिए। इसके बाद जोनर कार्ड बनता है। जी गलतफहमी है कि अंग निकालने के बाद शरीर का आकार बिगड़ जाता है या अंतिम संस्कार में दिक्कत आती है। डोनर फार्म एम्स में ऑर्गन रिटरिवल बैंकिंग ऑर्गनाइजेशन (ओआरबीओ) या इसकी वेबसइट से ले सकते हैं। अंगदान के बारे में डिटेल हेल्पलाइन नंबर 1060 पर ली जा सकती है।